

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3[ख] { }अलेसे-11/11194-250

दिनांक 12.2.15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 121/14-15, 122/14-15 एवं 123/14-15 दिनांक 23.12.2014 एवं 125/14-15 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदोन्नति पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर की गई थी, किन्तु विभागीय उक्त आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम सलेअ ग्रेड-द्वितीय सर्वश्री	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन स्थान
1	2756	इन्द्रसिंह शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटकासिम, अलवर	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा (अलवर)
2	6069	मनोज कुमार भट्ट	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर गढ़ी (बांसवाड़ा)	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गढ़ी (बांसवाड़ा)
3	3949	चम्पालाल	उपकोष, देसूरी (पाली)	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देसूरी (पाली)
4	5725	संजय बंसल	कोषालय, चित्तौड़गढ़	जिला आबकारी अधिकारी, चित्तौड़गढ़
5	5197	सुनील गुप्ता	तहसील, झालरापाटन, झालावाड़	जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़
6	3630	शिम्भु राम जाट	पुलिस अधीक्षक, पाली	जिला आबकारी अधिकारी, पाली
7	9497	सुशील कुमार	पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़	जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़
8	3654	महावीर प्रसाद गुप्ता	अधि. अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (एन.एच.) खण्ड बांसवाड़ा मुख्यालय निम्बाहेडा, स्थानान्तरणाधीन सहायक श्रम आयुक्त बांसवाड़ा	कोषालय, बांसवाड़ा
9	5411	सुभाष चन्द शर्मा	नगर विकास न्यास भरतपुर	महानिरीक्षक, पुलिस रैंज, भरतपुर
10	4261	अशोक कुमार शर्मा	नगर विकास न्यास, भरतपुर	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, भरतपुर
11	1200	महेन्द्र कुमार बाहेती	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालेड़ा, बून्दी	ब्लॉक, प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स., तालेड़ा, बून्दी
12	3001	महेश चन्द माहोर	जिला परिषद् (नरेगा), धौलपुर	जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर
13	2238	रामकुमार	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा खुला विश्वविद्यालय, जयपुर
14	3606	मनीष जैन	अनुसूचित जाति आयोग, जयपुर	संभागीय आयुक्त, जयपुर
15	2482	राकेश कविया	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर
16	3969	चन्द्र मोहन शर्मा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोविन्दगढ़, जयपुर	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जयपुर।
17	5559	सुरेश चन्द्र कुमावत	निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर	आबकारी निरोधक दल, जयपुर ग्रामीण
18	3492	केलाश कुमार	राज्य उपभोक्ता, संरक्षण मंच, जयपुर	कला एवं संस्कृति विभाग, सचिवालय, जयपुर
19	1264	रेणु माथुर	अधीक्षण अभियन्ता, ड्रिलिंग (वृत्त) पीएचईडी, जोधपुर	नगर निगम, जोधपुर
20	5908	सुमित श्रीवास्तव	उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, कोटा	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, कोटा
21	2391	महेश कुमार जोशी	कोषालय कोटा	जिला कलक्टर (राजस्व) कोटा
22	2984	मदनलाल अटवाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर
23	5883	विनोद कुमार पंवार	कोषालय, सीकर	जिला कलक्टर (ई गवर्नेन्स) सीकर
24	2368	रमेश कुमार वर्मा	आर.एस.बी.सी.एल., सीकर	जिला परिषद् (पंचायत प्रकोष्ठ) सीकर
25	3316	अनोप सिंह राठौड़	आई.पी. गंगानगर औएफडी खण्ड 7 श्रीगंगानगर स्थानान्तरणाधीन जिला परिषद् (नरेगा) जिला श्रीगंगानगर	जिला आयुर्वेद अधिकारी, श्रीगंगानगर
26	4672	ओमप्रकाश वर्मा	सहायक अभियन्ता, भूजल विभाग, अत्तमेर(अस्थायी कमोन्नत पद)	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अत्तमेर

2067	गिरीश कुमार कुमावत	जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू	राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम, झुन्झुनू
3873	बाबूलाल	उपकोष, भेड़ता सिटी, नागौर	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भेड़ता सिटी, नागौर

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित सलेअ ग्रेड-II को संदर्भित आदेश दिनांक 23 एवं 24.12.2014 की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 16.02.2015 तक अविलम्ब फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल (aao2.dta@rajasthan.gov.in) द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर निर्धारित समय में कार्यग्रहण नहीं करने वाले सलेअ ग्रेड-II के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3[ख] { } अलेसे-II / 11194-250

दिनांक 18.2.15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) शासन सचिवालय जयपुर।
- 2 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
- 3 संबंधित कोषाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों की पालना नहीं करने वाले कार्मिकों का वेतन निर्धारित अवधि के पश्चात नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व आहरित नहीं किया जावे।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- 5 संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल (aa02.dta@rajasthan.gov.in) पर इस विभाग को भिजवावें।
- 6 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 7 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(डा० नोपाराम पारीक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)